बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–08 / आ०–05–39 / 2021..... / प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 868 दिनांक 16.11.2022 द्वारा श्रीमती सुजाता कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शेरघाटी, गया–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक" का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्रीमती सुजाता कुमारी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर दिनांक 23.09.2026 को सुनवाई की गयी। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष रखा गया तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–08 के द्वारा पक्ष रखा गया।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के पत्रांक 556 दिनांक 17.06.2021 द्वारा श्रीमती सुजाता कुमारी के विरूद्ध आरोप–पत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप–पत्र पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 684 दिनांक 02.11.2021 द्वारा आरोपी पदाधिकारी, श्रीमती सुजाता कुमारी से बचाव अभिकथन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्रीमती कुमारी के पत्रांक 138 दिनांक 17.11.2021 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्रीमती कुमारी का बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं होने एवं प्रथम दृष्ट्या आरोप की प्रकृति गंभीर होने के कारण प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 324 दिनांक 04.05.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्रीमती कुमारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 134 दिनांक 16.06.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 607 दिनांक 04.08.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत आरोपी पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में उनके पत्रांक 303 दिनांक 22.08.2022 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

4. आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत आरोपी पदाधिकारी द्वारा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने, उच्चाधिकारी द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का ससमय प्रतिउत्तर नहीं देने, अस्वस्थता की सूचना वरीय पदाधिकारी को नहीं देने के मामले में आरोपी पदाधिकारी को दोषी मानते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय

के आदेश ज्ञापांक 868 दिनांक 16.11.2022 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

5. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा अधिरोपित दंड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया लेकिन अधिरोपित दंड के कारणों के प्रतिउत्तर में कोई भी तथ्य नहीं रखा गया। साथ ही सुनवाई में प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन में भी संदर्भित तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो पाये कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा परीक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही नहीं बरती गयी, उच्चाधिकारी द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का ससमय प्रत्युत्तर दिया गया तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा अस्वस्थता की सूचना वरीय पदाधिकारी को दिया गया।

6. अतः समीक्षोपरान्त श्रीमती सुजाता कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शेरघाटी, गया–सम्प्रति–सेवानिवृत्त को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 868 दिनांक 16.11.2022 द्वारा अधिरोपित "संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक" के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

7. इसके साथ ही इस मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह0/–
(राजीव रौशन)
सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–08/आ०–05–39/2021–1124 पटना, दिनांक 13.10.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–17(पेंशन शाखा)/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती सुजाता कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शेरघाटी, गया–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, वर्त्तमान पता–पति–अम्बर कुमार साह, M.P. 105, इंदिरा नगर हाउसिंग कॉलोनी, पूर्णियाँ–854301, मो० नं०–7903614970/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/10/26
सचिव, शिक्षा विभाग।